

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023 / 170

दायरा तिथि : 12.09.2023

आदेश तिथि : 25-10-2023

प्रार्थी :-

श्री अशोक कुमार पुत्र नगारामजी जाति मेघवाल निवासी विसलपुर, तहसील बाली
जिला पाली (राज.)

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 25-10-2023

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि ग्राम विसलपुर पटवार हल्का विसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 470 रकबा 1.7100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम विसलपुर पटवार हल्का विसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 461 रकबा 3.8700 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रैक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, विसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/1221 दिनांक 09.10.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, विसलपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार -

1. यह है कि ग्राम विसलपुर के खसरा नंबर 470 रकबा 1.7100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि प्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र नगारामजी जाति मेगवंशी वगैरा के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
2. यह है कि ग्राम विसलपुर के खसरा नंबर 461 रकबा 3.8700 हैक्टर भूमि किस्म बारानी अव्वल भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज है। एवं प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 520 रकबा 2.70 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि से लगता हुआ है।

यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
461	3.8700 हैक्टर	बारानी अव्वल	78x7= 546 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

4. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम विसलपुर की डी.एल.सी. दर 163325 रु/- रुपये प्रति हैक्टर है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व मेरांकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार02

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.



पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की यहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की सहखातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर तहसील वाली के खसरा नंबर 470 रकबा 1.7100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, वाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2023/1221 दिनांक 09.10.2023 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर के खसरा नंबर 470 रकबा 1.7100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील वाली के खसरा नंबर 461 रकबा 3.8700 हैक्टर किरम बरानी अब्बल में से 546 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार वाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, वाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रुपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 163325/- रुपये प्रति हैक्टयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
461	3.8700 हैक्टर	78x7=546 वर्गमीटर	17	9282 X2=18564	राजकीय सिवायचक भूमि

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 18564/- (अक्षरे अठारह हजार पांच सौ चौसठ रुपये मात्र) रुपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार वाली व निरीक्षक भू-अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, वाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, वाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक/2023/746-750

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, वाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, बिसलपुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील वाली
5. आवेदक श्री अशोक कुमार पुत्र नगरामजी निवासी बिसलपुर, तहसील वाली जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।

(श्री नारायण राम)

उपखण्ड अधिकारी, वाली
वाली (दिनांक 09.10.2023)

उपखण्ड अधिकारी, वाली
वाली (जिला-पाली) राज